न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 160 / 2023

फूलचन्द पुत्र मोहन लाल जाति जाटव निवासी ग्राम थलचाना तहसील पहाडी

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी

प्रतिवादी

2. जगदीश पुत्र मोहन लाल जाति जाटव निवासी थलचाना तहसील पहाडी

तरतीवी प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील वादी

दिनांक :– 08 / 04 / 2024

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88,89, आर0टी0 एक्ट इस आशय के साथ पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर साविक 224 / 0.16, 225 / 0.79 हाल खसरा नम्बर 242 / 0.16, 249 / 0.58, 243 / 2236 / 0.15 हैक्टर बांके ग्राम थलचाना तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी में वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 2 के हक व हित समान है। आराजी अरसा पूर्व उबड खावड आराजी थी जिसको वादी ने तरतीवी प्रतिवादी व पिता मोहन लाल ने खाद कूडा डालकर व समय–समय पर जोत–जोत कर उपजाऊ बनाया व कृषि करना शुरू कर दिया । वादी व तरतीवी प्रतिवादी समय–समय पर राजकोष पैनल्टी जमा कराते चले आ रहे है। आराजी पर कदीमी पुराना कब्जा निरन्तर रूप से चला आ रहा है और आज भी मौके पर कब्जा काश्त है। मौके व कब्जा काश्त की जाँच समय–समय पर पटवारी हल्का ने की है एवं समय–समय पर पैनल्टी भी राजकोष में जमा कराई जाती है। उक्त नम्बरान की वादी व तरतीवी प्रतिवादी ने पुख्ता मेड बना रखी है। इस प्रकार वादी व तरतीवी प्रतिवादी उक्त आराजी पर वहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में आज भी वादी व तरतीवी प्रतिवादी का नाम दर्ज नहीं हुआ है। मुताबिक काश्त वादी व तरतीवी प्रतिवादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक हिस्सा नाम दर्ज कराकर अपने आपको खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने का अधिकारी है। वादी ने यह दावा राजस्थान सरकार के खिलाफ पेश किया है। जिसके प्रतिनिधि तहसीलदार साहब पहाडी है कानूनन तहसीलदार को दो माह का म्यादी नोटिस दिया जाना होता है। लेकिन मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। दावा दायर करने से पूर्व वादी ने न्यायालय श्रीमान से समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) जा0दी0 पेश कर दावा प्रस्तुत करने की अनुमति ले ली है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वयं न्यायालय उपस्थित होकर जबाब इस आशय का पेश किया कि मद नं0 4 वाद पत्र में आराजी पर वादी का कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। वादी अतिक्रमी है । श्रीमान्जी उक्त वाद में वादी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है जो कि अतिक्रमी है राजहित प्रभावित होने के कारण वाद पत्र को इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावें। तरतीवी प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आया । जबाब पेश नहीं करना चाहते है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

तनकी संख्या 1 :– आया आराजी खसरा नम्बर 242/0.16, 249/0.58, 243/2236/0.15 हैक्टर बांके ग्राम थलचाना आराजी पर वादी का पुराना कब्जा काश्त है। जिस पर हाल में भी वादी का कब्जा है।

.....वादी

तनकी संख्या 2 :– आया आराजी को वादी ने उपजाऊ बनाया है जिस पर लगातार रूप से काश्त होती हुई चली आ रही है। काश्त के आधार पर वादी को खातेदार दर्ज रिकॉर्ड किया जावें।

.....वादी

3:– दादरसी :–

वादी ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 फूलचन्द, पी0डब्लू0 2 फौजी, पी0डब्लू0 3 हसन के शपथ पत्र पेश कर बयान कराये। दस्तावेजी साक्ष्य में नोटिस 91 एलआर एक्ट की प्रति एवं भेज रसीद की प्रति एवं नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 लगायत 2078 पेश की है।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस में वकील वादी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या 1 :– आया आराजी खसरा नम्बर 242/0.16, 249/0.58, 243/2236/0.15 हैक्टर बांके ग्राम थलचाना आराजी पर वादी का पुराना कब्जा काश्त है। जिस पर हाल में भी वादी का कब्जा है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। नकल जमाबंदी एवं जबाब प्रतिवादी के मुताबिक आराजी सरकारी गैर0मु0 खार है । उक्त विवेचन के आधार पर तनकी वाहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

तनकी संख्या 2 :– आया आराजी को वादी ने उपजाऊ बनाया है जिस पर लगातार रूप से काश्त होती हुई चली आ रही है। काश्त के आधार पर वादी को खातेदार दर्ज रिकॉर्ड किया जावें।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। नकल जमाबंदी एवं जबाब प्रतिवादी के मुताबिक आराजी सरकारी गैर0मु0 खार है । वादी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है जो कि अतिक्रमी है। उक्त विवेचन के आधार पर तनकी वाहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

4:– दादरसी :– तनकी संख्या 1 ,2, प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादी सिद्ध ना होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

उक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/04/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)